

भारत में आधुनिक शिक्षा एवं समुदायगत प्रतिक्रियाएं



बृज भूषण

सहायक आचार्य,
समाजशास्त्र विभाग,
राजकीय महिला स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, कांधला, शामली
(उ०प्र०)

सारांश

अभारत में अंग्रेजों के आगमन से पहले जो शिक्षा व्यवस्था संचालित व पोषित हो रही थी, उसका स्वरूप परम्परागत था। इस शिक्षा व्यवस्था की प्रकृति धार्मिक थी इसलिए यह इहलौकिक होने के स्थान पर पारलौकिक जीवन से अधिक सम्बन्धित थी। यह समाज के सभी वर्गों व समुदायों को समान रूप से उपलब्ध नहीं थी। तात्कालीन परम्परागत शिक्षा की प्रकृति बन्द व कठोर होने के कारण सामाजिक गतिशीलता प्रतिबन्धित हो कर रह गयी थी, क्योंकि यह समानता के स्थान पर भेदभाव पर आधारित थी। लगभग 150 वर्षों के अंग्रेजी शासन का भारतीयों के हित में यदि कोई महत्वपूर्ण निर्णय था तो वह आधुनिक शिक्षा की स्थापना ही था। प्रारम्भिक दौर में इसका माध्यम अंग्रेजी था तथा इसमें पारलौकिक जीवन के स्थान पर इहलौकिक समाज तथा विज्ञान के पठन-पाठन पर बल दिया गया। सामाजिक धार्मिक पूर्वग्रहों को छोड़कर इस नयी औपचारिक व आधुनिक विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था में अवसरों की समानता के सिद्धान्त का पालन करते हुए सभी धर्मों, जातियों व सम्प्रदायों को शिक्षा ग्रहण करने के अवसर प्रदान किए। परन्तु सभी सम्प्रदायों ने समान रूप से इसे ग्रहण नहीं किया। प्रस्तुत पत्र आधुनिक शिक्षा के प्रति समुदायों की असमान प्रतिक्रियों के कारणों पर एक विमर्श है।

मुख्य शब्द : आधुनिक शिक्षा, सामुदायगत प्रतिक्रियाएं, साम्रादायिक-सांस्कृतिक श्रेष्ठता, जनवृद्धि दर, भू-स्वामित्व एवं व्यवसायिक संरचना, आर्थिक स्थिति, सामुदायगत मूल्य।

परिचय

सत्रहवीं-अठठारहवीं शताब्दी की राजनीतिक तथा उन्नीसवीं शताब्दी की वैज्ञानिक व औद्योगिक क्रान्तियों ने आर्थिक क्षेत्र में ही बहुमुखी विकास की प्रक्रिया को जन्म नहीं दिया वरन् इसके कारण यूरोपीय समाज में सरंचनात्मक एवं राजनीतिक परिवर्तनों का भी सूत्रपात हुआ। इन आर्थिक, राजनीतिक व सरंचनात्मक परिवर्तनों से जनमानस की चिन्तन शैली स्वाभाविक रूप से प्रभावित हुई। बदलती हुई बौद्धिक व भौतिक परिस्थितियों में मानव-विकास एवं कल्याण की आवश्यकता महसूस की जाने लगी जिसके फलस्वरूप यूरोपियन समाज में जनमानस के बीच परम्परावाद व आधुनिकतावाद नाम की दो विचार धाराओं का सूत्रपात हुआ। कुछ लोगों ने परम्परावाद, तो कुछ ने आधुनिकतावाद की वकालत कर मानव कल्याण व विकास की सम्भावनाओं को तलाशने का प्रयास किया। दोनों विचारधाराओं में टकराव से उत्पन्न हुए मूल्य संघर्ष के बावजूद यूरोपियन समाज ने आधुनिक मूल्यों को स्वीकार कर आत्मसात करना शुरू कर दिया। इस प्रकार आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरूआत हुई तथा समाज में विश्वव्यापी दृष्टिकोण में निहित मानवतावाद, व्यक्तिवाद, विज्ञानवाद, समतावाद, कल्याणकारी राज्य, प्रजातन्त्रवाद, स्वतन्त्रतावाद, मानव विकास, उद्योगवाद, नियोजनवाद इत्यादि आधुनिक मूल्यों, मनोवृत्तियां तथा धारणाओं न मानव जीवन शैली को प्रभावित किया। परम्परागत, कृषि-प्रधान तथा पूर्व आधुनिक समाज आधुनिकता की ओर कदम बढ़ाने लगे। आधुनिकीकरण की यह प्रक्रिया यूरोपीय समाज तक ही सीमित नहीं रह सकी वरन् इस ने विश्व के अन्य भागों, समाजों व राष्ट्रों को भी प्रभावित किया। आधुनिकतावाद के कारण नवविकसित जीवन शैली मानवता के संवर्द्धन व अभिव्यक्ति के लिए हितकर समझी जाने लगी। परन्तु जनमानस के सामने, जनहित में, नव विकसित जीवन शैली से सम्बन्धित आधुनिक मूल्यों के प्रचार-प्रसार की चुनौती खड़ी हुई। इस चुनौती का सामना करने हेतु शिक्षा को सशक्त माध्यम के रूप में चुना गया तथा यह स्वीकार किया गया कि शिक्षा के द्वारा ही आधुनिकतावादी मूल्यों को आमजन तक पहुँचाया जा सकता है। लेकिन तात्कालीन शिक्षा का स्वरूप परम्परागत था जो आधुनिक मूल्यों का प्रबल विरोधी था। इन परिस्थितियों में शिक्षा के स्वरूप को बदलने की आवश्यकता महसूस की

गयी, फलस्वरूप शिक्षा के आधुनिकीकरण को बल मिला जिससे आधुनिक शिक्षा की धारणा का सूत्रपात हुआ। आधुनिक मूल्यों के सन्दर्भ में निर्मित नई शिक्षा नीतियों के द्वारा धीरे-धीरे परम्परागत शिक्षा के स्वरूप को आधुनिक मूल्यात्मक स्वरूप में ढाल दिया गया। शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले आमूल-चूल परिवर्तन के इस दौर में मुख्यतः दो तथ्य परिलक्षित होते हैं। प्रथम आधुनिक मूल्यों के परिवेश में शिक्षा के आधुनिकीकरण द्वारा आधुनिक शिक्षा के स्वरूप का अस्तित्व में आना। दूसरा आधुनिक शिक्षा के माध्यम से जनहित के आधुनिक मूल्यों का आम जनमानस तक प्रसारित किया जाना।

आज आधुनिक शिक्षा को मानव विकास व कल्याण हेतु एक अनिवार्य शर्त के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। हम अनुभव कर रहे हैं कि आधुनिक शिक्षा मानवीय, बौद्धिक व सामाजिक पूँजी के विकास के एक सशक्त साधन के रूप में कार्य कर रही है। आधुनिक शिक्षा वैज्ञानिक व उत्कीर्तीक ढंग से प्रशिक्षित श्रम-शक्ति का उत्पादन करके आर्थिक विकास के एक अनिवार्य कारक के रूप में कार्यरत हैं। आज यह जागरूक नागरिकों के विकास की एक प्रमुख ऐजेन्सी होने के अलावा प्रजातान्त्रिक समाजवादी व धर्मनिर्पक्षतावादी मूल्यों की एक मजबूत आधार बन चुकी हैं। यह विभिन्न बाधाओं व राष्ट्रीय एकीकरण में योगदान दे रही है। आधुनिक शिक्षा व्यक्तियों की मनोवृत्तियों व मूल्यों में परिवर्तन की भी क्षमता समाये हुए हैं। आधुनिक कर्मचारी तन्त्र की स्थापना के अलावा साहित्य, कला व दर्शन की प्रगति में आधुनिक शिक्षा का विशेष योगदान रहा है। आधुनिक शिक्षा वर्तमान में नियोजित सामाजिक परिवर्तनों का प्रमुख स्रोत बन गयी है। विकास की प्रक्रिया से सम्बन्धित विभिन्न सिद्धान्तों ने आधुनिक शिक्षा को विकास की अनिवार्य कुन्जी के रूप में स्वीकार किया गया हैं। यह राष्ट्रों के विकास की अनिवार्य दशा व निर्धारक बन जाने के कारण विश्व के अनेक विकासशील व अविकसित राष्ट्रों ने विकास के विभिन्न लक्ष्यों में से आधुनिक सार्व भौमिक शिक्षा को विशेष लक्ष्य के रूप में स्वीकारा है। अतः भारत जैसा विकासशील देश भी इससे अछूता नहीं रह सका।

भारत में अंग्रेजों के आगमन से पहले जो शिक्षा व्यवस्था संचालित व पौष्टि हो रही थी, उसका स्वरूप परम्परागत था। इस शिक्षा व्यवस्था की प्रकृति धार्मिक थी इसलिए यह इहलौकिक होने के स्थान पर पारलौकिक जोगन से अधिक सम्बन्धित थी। यह समाज के सभी वर्गों व समुदायों को समान रूप से उपलब्ध नहीं थी। तात्कालीन परम्परागत शिक्षा की प्रकृति बन्द व कठोर होने के कारण सामाजिक गतिशीलता प्रतिबन्धित हो कर रह गयी थी, क्योंकि यह समानता के स्थान पर भेदभाव पर आधारित था। विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों में इसके स्वरूप भी अलग-अलग थे। हिन्दू मुस्लिम तथा अन्य सम्प्रदायों की अपनी-अपनी जीवन शैली तथा उसके अनुरूप अपनी-अपनी शैक्षणिक संस्थाएँ थी। हिन्दू गुरुकुलों एवं पाठशालाओं में तथा मुस्लिम मदरसों में शिक्षा ग्रहण करते थे। दोनों सम्प्रदायों में शिक्षा केवल धर्मग्रन्थों के अध्ययनों तक ही सीमित थी। हिन्दुओं में

शिक्षा संस्थाओं पर उच्च वर्णों तथा उच्च जातियों के पुरुषों का एकाधिकार था तथा शुद्रवर्ण व महिलाओं के लिए शिक्षा वर्जित थी। दूसरी तरफ यद्यपि मुस्लिम धर्म ग्रन्थों में सभी को शिक्षा ग्रहण करने के निर्देश दिये गये फिर भी यह सभी को आसानी से उपलब्ध नहीं थी। अंग्रेजों के आगमन से भारत में आधुनिक शिक्षा का शुभारम्भ हुआ। लगभग एक शताब्दी तक चली विजय प्रक्रिया के पश्चात अंग्रेज अपने साम्राज्य को बनाये रखने के लिए कुछ नई तकनीकीयों तथा सरंचनाओं को भारतीय धरा पर आरोपण करना चाहते थे। हुआ भी वही। उत्पादन में नई तकनीकी, व्यापार की नई बाजार प्रणाली, यातायात व संचार के साधनों का विकास, कर्मचारीतन्त्र पर आधारित अखिल भारतीय सिविल सेवा की स्थापना, औपचारिक व लिखित कानूनों की स्थापना, आधुनिक सैन्य संगठन, संगठित व प्रशिक्षित न्यायिक व्यवस्था इत्यादि महत्वपूर्ण कदम अंग्रेजों द्वारा उठाये गये। लेकिन इन व्यवस्थाओं के पोषण व सफल संचालन के लिए एक प्रशिक्षित मानव शक्ति की आवश्यकता थी। इस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए अंग्रेजों द्वारा आधुनिक औपचारिक शिक्षा व्यवस्था की स्थापना की गयी। यद्यपि अंग्रेजों का यह महत्वपूर्ण कदम उनके स्वार्थों की पूर्ति के लिए था फिर भी भारतीय समाज के लिए उन तात्कालीन परिस्थितियों में यह हितकर साबित हुआ। नये प्रबुद्ध वर्ग का जन्म, राष्ट्रवाद, समाजसुधार आन्दोलन तथा आधुनिकरण की शुरुआत इत्यादि कुछ ऐसे परिणाम थे जो भारतीयों के लिए हितकर तथा अंग्रेजों के लिए अहितकर साबित हुए। लगभग 150 वर्षों के अंग्रेजी शासन का भारतीयों के हित में यदि कोई महत्वपूर्ण निर्णय था तो वह आधुनिक शिक्षा की स्थापना ही था। प्रारम्भिक दौर में इसका माध्यम अंग्रेजी था तथा इसमें पारलौकिक जीवन के स्थान पर इहलौकिक समाज तथा विज्ञान के पठन-पाठन पर बल दिया गया। सामाजिक धार्मिक पूर्वाग्रहों को छोड़कर इस नयी औपचारिक व आधुनिक विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था में अवसरों की समानता के सिद्धान्त का पालन करते हुए सभी धर्मों, जातियों व सम्प्रदायों को शिक्षा ग्रहण करने के अवसर प्रदान किए। भारत में इन्हीं समानता के सिद्धान्तों को स्वीकार कर नयी शिक्षा व्यवस्था को संचालित करते हुए, स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय नेतृत्व में जिन राष्ट्रीय लक्ष्यों का चुना उनकी सहज अभिव्यक्ति संविधान की प्रस्तावना-भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, धर्मनिर्पक्ष, लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बधुंता बढ़ाने के लिए में अंग्रीकृत व अधिनियमित हो जाती है। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ही भारत सरकारों द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्यों में आधुनिक शिक्षा का विकास भी विशिष्ट स्थान रखता है। तदानुसार आधुनिक शिक्षा के लक्ष्यों में भी सर्वाधिक प्राथमिक शिक्षा

को प्राथमिकता दी गयी है। संविधान की धारा 4-5 में प्रावधान रखा गया कि 1960 तक 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का निशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जायेगी लेकिन अभी तक भी यह लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया है। विभिन्न विचार धाराओं वाली भारत सरकारों ने सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को लेकर नारेबाजी अधिक की बजाय ठोस कदम उठाने के। परिणाम स्वरूप जो लक्ष्य 1960 में पूरा किया जाना था, पूरा नहीं हो सका तथा लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस समयावधि को लगभग आठ बार बढ़ाना पड़ा है। बार-बार समयावधि बढ़ाने के बावजूद भी हम निशुल्क सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहे हैं।

सामुदायगत प्रतिक्रियायें

भारत एक बहुलता वादी राष्ट्र है। यहां विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों के लोग निवास करते हैं। सभी सम्प्रदाय अपनी-अपनी अस्मिता को बनाएं रखने के लिए प्रयासरत हैं। जिससे यहां धर्मिक सम्प्रदायगत विभिन्नताएँ प्रभावी हो रही हैं। इन धार्मिक समुदायों की अलग-अलग मानसिकताएं व सोच हैं। अमर्त्य सेन ने माना है कि लिंग तथा वर्ग की असमानताएं ही अवसरों की स्वतन्त्रताओं का निर्माण नहीं करती वरन् विषमता के अन्य प्रारूप भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। आपने प्रजातिय तथा जातिगत विषमताओं को महत्वपूर्ण माना है। धार्मिक समुदायगत विविधता पर निश्चल (1999) का मानना है कि भारत में धार्मिक समुदायों के परिप्रेक्ष्य में उपराष्ट्रीयताएं विकसित हो रही हैं जिससे विकास प्रक्रियाओं को देखने की सम्प्रदायगत प्रवृत्तियां विकसित हुई हैं। इन प्रवृत्तियों से प्रभावित होकर विभिन्न धर्मिक सुदायाओं ने राष्ट्रीय विकास में अपने योगदान व उनके प्रतिफलों की प्राप्ति में समुदाय के अपने-अपने स्थान के बारे में परस्पर विरोधी दावे प्रस्तुत किये हैं। इन दावों के आधार पर विभिन्न धार्मिक समूहों के नेतृत्व ने अपने राजनैतिक-आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए अपने-अपने समुदाय की राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया में स्थिति के मिथक स्थापित किये हैं तथा राजनैतिक साम्प्रदायिकरण को बढ़ावा दिया है। दुर्भाग्यवस इस प्रकार स्थापित मिथकों से सम्बन्धित आकड़े सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं होते जिससे स्वार्थी तत्व जनसामान्य को गुमराह करने में सफल हो जाते हैं। प्रायः ये मिथक राजनैतिक उद्देश्यों के लिए बनाये जाते हैं न तो इनमें सैद्धान्तिक तात्त्वम्य होता और न ही ये वास्तविकता की कसौटी पर खरे उत्तरते हैं।

भारत में विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों में शिक्षा के भिन्न-भिन्न उपभोग प्रतिमानों को लेकर विद्वानों द्वारा भिन्न-भिन्न मत व्यक्त किये गये हैं। उदाहरणार्थ यदि मुस्लिम समुदाय को ही लीजिए तो इनके शैक्षणिक उपभोग प्रतिमानों के बारे में विद्वान अलग-अलग राय व्यक्त करते हैं। इनमें कुछ का मानना कि मुसलमान शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। लेकिन कुछ विद्वान इसका विरोध करते हुए कहते हैं कि मुस्लिम शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए नहीं हैं बल्कि यह मुस्लिम नेतृत्व द्वारा प्रचरित गलत मिथक हैं। यह एक सोची समझी चाल है। वास्तविक स्थिति तो यह है कि मुस्लिम अपनी जनसंख्या

के अनुपात में ही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इम्तियाज अहमद (1990), ए०आर० शेरवानी (1980) इत्यादि ने मुस्लिमों को शिक्षा जगत में पिछड़ा हुआ माना है। जबकि इसके विपरीत ओ० खालीद (1991) इस पिछड़ेपन की धारणा को खारीज करते हैं। इस प्रकार विद्वान सम्प्रदायों की शिक्षा उपभोग के बारे में एक मत नहीं है लेकिन एक बात जो बिल्कुल स्पष्ट है वह है कि सभी धार्मिक सम्प्रदायों की शिक्षा उपभोग प्रतिमानों में समानता नहीं है। कुछ सम्प्रदायों ने आधुनिक शिक्षा को तेजी से अपनाया है तो कुछ ने इसे अपनाने में संकोच किया है। प्रश्न उठता है कि इस असमानता का कारण क्या है? विद्वानों ने इसे समुदायों में जनवृद्धि दरों में भिन्नता, समुदायों में शिक्षा ग्रहण प्रवृत्ति में अन्तर, असमान सामुदायिक आर्थिक स्थितियां, सामुदायिक भूस्वामित्व तथा व्यवसायिक सरंचना, समुदायगत मूल्यों में अन्तर, इत्यादि कारकों के साथ सहसम्बन्धित करके जानने का प्रयास किया है।

भारत वर्ष में मुस्लिम शासकों का दीर्घकाल तक शासन रहने के पश्चात अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ। अपने शासकीय हितों के लिए अंग्रेजों द्वारा हिन्दू मुस्लिम सौहार्द को आधात पहुंचाया गया जिसकी परिणति द्विराष्ट्रवाद के सिद्धान्त के रूप में हुई। 1947 में भारतवर्ष दो राष्ट्र में विभाजित हुआ एक पाकिस्तान जिसने इस्लामिक धर्मसापेक्षता को अपनाया तथा दूसरा भारत जिसने पंथनिर्पेक्षता व लोकतान्त्रिक व्यवस्था को चुना। 1947 के धार्मिक विभाजन के पश्चात भारत में 1951 में जनगणना हुई जिसके अनुसार भारत में 303.6 मिलियन हिन्दू 35.4 मिलियन मुस्लिम, 8.3 मिलियन ईसाई व 9.7 मिलियन अन्य धर्मों को मानने वाले थे। वह संख्या 1991 में बढ़कर क्रमशः 687 मिलियन, 101 मिलियन, 19.6 मिलियन तथा 29.0 मिलियन हो गयी है। वर्ष 2000-01 की जनगणना के अनुसार हिन्दू 827.0 मिलियन, मुस्लिम 138.0 मिलियन, ईसाई 24.0 मिलियन अन्य 37.4 मिलियन हैं। वर्ष 1951 से लेकर 2001 तक धार्मिक सम्प्रदायों के जनसंख्या वृद्धि दरों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आये हैं। 1951 में जहां हिन्दू 84.07 प्रतिशत थे वहीं वे 2001 में घटकर 80.5 प्रतिशत रह गये हैं दूसरी तरफ मुस्लिम 1951 में 9.80 प्रतिशत थे 20001 में बढ़कर 13.4 प्रतिशत हो गये हैं। 1991 में हिन्दूओं में जनवृद्धि दर 25.13 प्रतिशत थी यह 2001 में घटकर 20.3 प्रतिशत रह गयी है जबकि मुस्लिमों में 33.7 प्रतिशत से बढ़कर 36.0 प्रतिशत व ईसाईयों में 20.9 प्रतिशत से बढ़कर 22.1 प्रतिशत हो गयी है। आज भारत जनसंख्या विस्फोट के दौर से गुजर रहा है, जिससे यहां गरीबी व बेरोजगारी में वृद्धि हुई। गरीबी शिक्षा ग्रहण की प्रक्रिया के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखती है। भारत में यद्यपि सभी धार्मिक सम्प्रदायों की जनवृद्धि हुई (पारसी को छोड़कर) लेकिन सभी सम्प्रदायों की अपेक्षा मुस्लिम सम्प्रदाय में जनवृद्धि की दर सबसे अधिक है। इनकी यह जनवृद्धि अप्रत्यक्ष रूप से अशिक्षा के साथ सम्बन्धित है। इस बेहताशा जनवृद्धि ने मुस्लिमों में अशिक्षा तथा बाल मजदूरी जैसी समस्याओं को जन्म दिया है।

समान राष्ट्रीय शैक्षणिक पर्यावरण में धार्मिक

सम्प्रदाओं की शिक्षा ग्रहण की प्रवृत्तियां भी अलग—अलग रही है। वर्ष 2001 की धार्मिक जनगणना के अनुसार हिन्दू मुस्लिम तथा ईसाईयों में साक्षरता की सबसे बेहतर स्थिति ईसाईयों की है। 2001 में हिन्दू 65.1 मुस्लिम 59.1 तथा ईसाई 80.3 प्रतिशत साक्षर पाये गये। एक मात्र राज्य केरल ही ऐसा है जहां मुस्लिम साक्षरता 89.4 प्रतिशत है। शेष राज्यों में मुस्लिम साक्षरता की स्थिति सन्तोष जनक नहीं है। धार्मिक सम्प्रदाओं में साक्षरता की भिन्नताएं भी उनमें शिक्षा ग्रहण की प्रवृत्तियां की ओर संकेत करती है। जिन सम्प्रदायों में उच्च साक्षरता है तो वे शिक्षा—ग्रहण के प्रति अधिक जागरूक प्रतीत होते हैं।

भूस्वामित्व तथा व्यवसायिक संरचना भी शिक्षा ग्रहण प्रक्रिया को प्रभावित करती रही है। भूमि केवल आर्थिक स्थिति का ही आधार नहीं है वरन् राजनीतिक व सामाजिक स्थितियों का भी निर्धारण करती है। भूमिहीनता तथा जोत के आकार के आधार पर देखे तो तीनों समुदायों (हिन्दू मुस्लिम—ईसाई) में मुस्लिमों की स्थिति सबसे खराब है। मुस्लिम अधिक भूमिहीन होने के साथ—साथ उनकी जोतों के आकार भी छोटे हैं। व्यवसायिक दृष्टि से भी देखे तो धार्मिक सम्प्रदायों में व्यवसायिक संरचनाओं में विविधता है।

शिक्षा ग्राह्यता समुदायगत आर्थिक स्थितियों से भी सम्बन्ध रखती है। जिन समुदायों में आर्थिक सम्पन्नता होती है वे प्रायः शिक्षा ग्रहण की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। समुदायों की गरीबी उनमें आधुनिक शिक्षा के प्रति अलगाव उत्पन्न करती है। शिक्षा विदों ने प्रति व्यक्ति आय में कमी तथा गरीबी को अशिक्षा का उत्तरदायी कारक माना है। हिन्दू व ईसाईयों की अपेक्षा मुस्लिमों में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यापन करने वालों की संख्या अधिक है। शायद यह भी एक कारण कि वे शिक्षा में अपेक्षाकृत पिछड़े हुए हैं। पंचमुखी (1990) तथा नेशनल कॉन्सिल ऑफ एपलाइड इकॉनॉनिक रिसर्च (1994) ने शिक्षा पर होने वाले परिवारिक खर्च का विश्लेषण किया है। इन्होंने पाया कि देश के सभी राज्यों के गांवों तथा नगरों में बालक—बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा पर परिवारों को भरी भरकम खर्च करना पड़ता है। यद्यपि भारतीय संविधान में निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रावधान रखा गया है फिर भी भारत में प्राथमिक शिक्षा पर्ण रूप से निःशुल्क नहीं है। तिलक (1996) ने कहा है कि निःशुल्क शिक्षा की धारणा स्वयं वहीं समाप्त हो जाती है जहां सरकारी आकड़े यह विवरण देते हैं कि प्राथमिक शिक्षा से प्राप्त शुल्क के मद से कितनी धनराशि एकत्र हुई है। गरीब परिवारों में यह विश्वास भी प्रचलित है कि बच्चा विद्यालय जाकर जो कुछ सीखेगा वह उसके भावी व्यवसायिक जीवन के लिए महत्वहीन है। शिक्षा पर व्यय व्यर्थ की धन की बर्बादी है। यही कारण है कि सभी समूह इन विश्वासों के कारण आधुनिक शिक्षा के प्रति समान रूप से जागरूक नहीं हो पाते।

भारत में धार्मिक समुदायों की अलग—अलग संस्कृति है। इन संस्कृतियों के भिन्न—भिन्न सांस्कृतिक मूल्य हैं। ये मूल्य तथा विश्वास समुदाय के सांस्कृतिक

पर्यावरण का निर्माण करते हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण सीख की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। भारत में हिन्दू मुसलमान तथा ईसाईयों की अलग—अलग संस्कृतियां हैं ये समुदाय अपनी—अपनी सांस्कृतिक अस्मिता व पहचान बनाए रखने के लिये प्रयासरत है। समय—समय पर ये समुदाय अपनी साम्प्रदायिक—सांस्कृतिक श्रेष्ठता का भी दावा करते हैं। यही कारण है कि हिन्दूओं, मुसलमानों तथा ईसाईयों ने आधुनिक शिक्षा के प्रति अलग—अलग प्रतिक्रियाएं की हैं। आधुनिक शिक्षा, जो सार्वभौमिकता, पंथनिर्वेक्षता, समानता, स्वतन्त्रता इत्यादि आधुनिक मूल्यों से परिपूर्ण है, का प्रारूप पश्चिमी मूल्यों से प्रभावित है। यही कारण है कि ईसाईयों ने इसे सहज रूप से अपनाया है जबकि हिन्दू तथा मुसलमानों ने इसे संकोच की दृष्टि से देखा है। इन समुदायों को डर है कि कहीं पश्चिमी संस्कृति का आक्रमण उनकी सांस्कृतिक पहचान को नष्ट न कर दें। यद्यपि मुसलमानों की अपेक्षा हिन्दू समुदाय ने आधुनिक शिक्षा को ज्यादा तेजी से अपनाया है। मुस्लिम शिक्षा ग्रहण की इस प्रक्रिया में थोड़ा पिछड़ गये हैं। इसका कारण है कि मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा ग्रहण को लेकर दो विचार धाराओं का जन्म हुआ है, एक उदारवादी तो दूसरी रुद्धिवादी/कट्टरवादी विचारधारा। उदारवादियों का मानना है कि मुसलमानों को अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान बनाए रखते हुए आधुनिक व्यवसायिक शिक्षा को अपनाना चाहिए जिससे उनका सामाजिक—आर्थिक पिछड़ापन दूर किया जा सके। दूसरी आर रुद्धिवादी मुसलमान आधुनिक शिक्षा के प्रति कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। उनका मानना है कि पश्चिमी मूल्यों से परिपूर्ण आधुनिक शिक्षा इस्लामिक संस्कृति पर आक्रमण का एक माध्यम है इसलिए अपनी सांस्कृतिक अस्मिता की खातिर इससे दूर रहना चाहिए तथा मजहबी या दीनी शिक्षा द्वारा ही इस्लामी समाज का कल्याण सम्भव है। इस प्रकार मुसलमानों की रुद्धिवादी विचार धारा ने आधुनिक शिक्षा ग्रहण की प्रक्रिया को धीमा किया है जबकि अन्य सम्प्रदायों ने इसे सहज अपनाया है।

संदर्भ

1. Nischal, Surendra (Oct. 1999), Educational Differentials between Hindus and Muslims in India, Muslim Education Review, Vol. 1, No. 1, pp 24.
2. Khalidi, Omar (1995), Indian Muslims Since Independence, New Delhi, Vikas Publishing House Pvt. Ltd.
3. Ahmad, Imtiaz (1980), The Problem of Muslim Educational Backwardness in Contemporary India : An Infrerential Analysis Occasional Paper, pp 55-71
4. Sherwani, Ahmad Rashid (April 1984), Improved Performance of Muslim Students in U.P. Rediance, pp 9.
5. Panchamukhi P.R. (1990), Private Expenditure of Education in India: An Empirical Study, (Sponsored by Planning Commission), Pune, Indian Institute of Education.
6. Tilak J.B.G. (Feb. 3 & 10 1996), How Free is "Free Primary Education in India?" Economic & Political Weekly Vol. 31, No. 5 & 6, pp 275-282 & 355-366.